



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09012026-269217
CG-DL-E-09012026-269217

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 88]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 7, 2026/पौष 17, 1947

No. 88]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 7, 2026/PAUSAH 17, 1947

स्वास्थ्य एवं कल्याण परिवार मंत्रालय
(स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2026

का.आ. 98(अ).—केंद्रीय सरकार, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित को निरीक्षकों के रूप में पूरे भारत में उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु नियुक्त करती है, अर्थात्:-

क्र. सं.	नाम
1.	श्रीमती यामिनी गौड़
2.	श्रीमती कुमारी सुगंधा

2. निरीक्षक जो नियुक्त किये गए हैं अधिनियम की धारा 21 और 22 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में यथाविनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

[फा. सं. एक्स. 11014/08/2025-डीआर]

हर्ष मंगला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(Department of Health and Family Welfare)
NOTIFICATION

New Delhi, the 6 January, 2026

S.O. 98(E).— In exercise of the powers conferred by section 21 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government hereby appoints the following as Inspectors for the purpose of the said Act for the whole of India, namely:-

S. No.	Name
1	Smt. Yamini Gaur
2	Smt. Kumari Sugandha

2. The Inspectors so appointed are hereby authorized to exercise the powers and shall perform the duties as specified in sections 21 and 22 of the said Act and the rules made thereunder.

[F. No. X.11014/08/2025-DR]

HARSH MANGLA, Jt. Secy.